



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112024-258974
CG-DL-E-28112024-258974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2024/अग्राहायण 6, 1946

No. 321]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024/AGRAHAYAN 6, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
समाप्ति अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 नवम्बर 2024

विषय: कुवैत, सऊदी अरब और यूएसए से उद्भूत अथवा निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी)" के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच की समाप्ति।

क. परिचय

- फा. स. 6/8/2021-डीजीटीआर .—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए सीमा शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण करने के लिए) नियम, 1995 (जिसे इसके बाद नियम भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड (आईजीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) (इसके बाद आवेदक के रूप में भी संदर्भित) सरकार ने कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमरीका (जिसे इसके बाद संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) से उद्भूत अथवा निर्यातित मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए नामोद्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकरण भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकरण ने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के पाटन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य, घरेलू उद्योग को क्षति और आवेदक द्वारा प्रस्तुत पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के आधार पर कथित पाटन और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में नियमों के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू की है।
3. प्राधिकरण ने तदनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/8/2021-डीजीटीआर दिनांक 28 जून, 2021 के माध्यम से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें कुवैत, सऊदी अरब और यूएसए से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू की गई।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले संबंधित देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।
5. प्राधिकरण ने जांच अधिसूचना की प्रतियां भारत में विषय देशों के दूतावासों, संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे नियमों के नियम 6(2) के अनुसार जांच अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करें। हालांकि, इच्छुक पार्टियों के अनुरोध पर, सबमिशन करने की समय सीमा 7 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई थी।
6. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबंधित देशों के दूतावासों को आवेदन के गैर-गोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।
7. भारत में विषय देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।
8. जांच अधिसूचना और सूचना के प्रत्युत्तर में, विषय देशों के निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर और कानूनी प्रस्तुतियाँ दायर करके प्राधिकरण को उत्तर दिया।
9. डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी इच्छुक पार्टियों की एक सूची अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें।
10. प्राधिकरण ने 9 दिसंबर, 2021 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की ताकि इच्छुक पार्टियों को पाटन रोधी नियमों के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके।
11. विषय पाटन रोधी जांच को पूरा करने और अंतिम निष्कर्ष जारी करने के लिए 3 महीने का विस्तार केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था। तदनुसार, प्राधिकरण ने 27 अक्टूबर 2022 को अंतिम निष्कर्ष जारी किए।
12. 27 अक्टूबर 2022 को अपने अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

"154. विभिन्न इच्छुक पक्षों के तर्कों की जांच करने के बाद और उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत प्रतिष्ठापित प्रावधानों के अनुसार वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित नहीं समझता है। इसलिए, पाटन रोधी नियमों के नियम 14 (बी), नियम 17 (1) (ए) (ii) और नियम 11 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए और 9बी के संदर्भ में, नामित प्राधिकारी वर्तमान जांच को समाप्त करने का निर्णय लेता है जिसे अधिसूचना संख्या फ सं 6/8/2021-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून 2021 के माध्यम से शुरू किया गया था।

13. तदनुसार, जांच समाप्त कर दी गई थी।
14. वर्तमान जांच में सह-आवेदक मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 27 अक्टूबर 2022 को जारी अंतिम निष्कर्षों के खिलाफ अपील की। अपीलकर्ता ने अंतिम निष्कर्षों के निष्कर्ष को चुनौती दी कि घरेलू उद्योग को नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में भौतिक नुकसान नहीं हुआ था। माननीय सीस्टेट ने अंतिम निष्कर्षों की जांच की, और अपने अंतिम आदेश संख्या 51370/2023 के माध्यम से निम्नानुसार आयोजित किया:

"105. वर्तमान मामले में नामित प्राधिकारी ने विशेष रूप से 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में मामूली सुधार पर भरोसा किया है और इससे पहले के वर्षों में रुझानों की अनदेखी की है। इस तरह की चयनात्मक परीक्षा, विशेष रूप से वर्तमान तथ्यों में जहां घरेलू उद्योग ने 2019-20 से क्षति का दावा किया है, क्षति के आकलन के पूरे उद्देश्य को विफल कर सकता है।

106. इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि नामित प्राधिकारी को ऊपर की गई टिप्पणियों के प्रकाश में मामले की फिर से जांच करनी होगी। इस प्रयोजन के लिए, नामित प्राधिकारी अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं दोनों को अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने का अवसर देगा और प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद और ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, अपने अंतिम निष्कर्ष देगा।

107. दिनांक 27.10.2022 की अधिसूचना में निहित नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष, तदनुसार, अलग रखे जाते हैं और मामले को ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में अंतिम निष्कर्ष देने के लिए नामित प्राधिकारी को भेज दिया जाता है। अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है।

ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

15. दिनांक 25 सितंबर 2024 के पत्र के माध्यम से घरेलू उद्योग ने यह कहते हुए विषय वस्तु में दायर आवेदन वापस ले लिया कि रिमांड जांच में जांच की अवधि 4 वर्ष पुरानी है और इसलिए इस तरह के आंकड़ों के आधार पर पाटन और क्षति पर कोई भी निष्कर्ष वर्तमान बाजार वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करेगा।

घ. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

16. घरेलू उद्योग, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 सितंबर 2024 के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है।
17. प्राधिकरण नोट करता है कि नियमों के नियम 14 (ए) निम्नानुसार है:

जांच की समाप्ति - नामित प्राधिकारी, एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके, एक जांच को तुरंत समाप्त कर देगा यदि - (ए) यह प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त करता है, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी;

18. यह नोट किया जाता है कि नियम 14 में उन परिस्थितियों सहित जांच समाप्त करने का प्रावधान है जिनमें घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन वापस ले लिया गया है। नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देगा यदि उसे प्रभावित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्त होता है।
19. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग का गठन करने वाले इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड (आईजीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग ने आवेदन वापस लेने के लिए प्राधिकरण के पास पत्र दायर किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि नियमों के नियम 14 (ए) में प्राधिकरण को जांच को समाप्त करने की आवश्यकता होती है, जब घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, जांच को समाप्त करने के लिए लिखित अनुरोध दायर करता है।

ड. निष्कर्ष

20. संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में और नियम 14(अ) के प्रावधानों के तहत, प्राधिकरण 28.06.2021 को जारी अधिसूचना संख्या 6/8/2021-डीजीटीआर द्वारा कुवैत, सऊदी अरब और अमेरिका से मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी या एथिलीन ग्लाइकोल) के आयात के खिलाफ शुरू की गई जांच को समाप्त करता है।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 27th November, 2024

TERMINATION NOTIFICATION

Subject: Termination of Anti-dumping investigation concerning imports of "Mono Ethylene Glycol (MEG)" originating in or exported from Kuwait, Saudi Arabia and USA.

A. Introduction

- F. No. 6/8/2021- DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the 'Rules'), thereof, India Glycols Limited (IGL) and Reliance Industries Limited (RIL) (hereinafter also referred to as the 'applicant'), filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the 'Authority') for initiation of antidumping investigation and imposition of anti-dumping duties on the imports of Mono Ethylene Glycol (MEG)" originating or exported from Kuwait, Saudi Arabia and USA (hereinafter referred as 'subject countries').
- The Authority, based on prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury submitted by the applicant, initiated an anti-dumping investigation into the alleged dumping, and consequential injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules.
- The Authority accordingly issued a public notice *vide* Notification no. 6/8/2021-DGTR dated 28th June, 2021 published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from Kuwait, Saudi Arabia and USA.

B. Procedure

4. The Authority notified the embassies of the subject countries about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
5. The Authority post-initiation sent copies of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the Rules. However, upon request from the interested parties, the time limit for making submissions was extended up to 7 September 2021.
6. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
7. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from its countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
8. In response to the initiation notification and intimation, exporters/ producers from the subject countries and importers/ users responded to the Authority by filing the exporter questionnaire responses and the legal submissions.
9. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.
10. The Authority held an oral hearing on 9th December, 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with the Rule 6(6) of the anti-dumping rules.
11. An extension of 3 months to complete the subject anti-dumping investigation and issue the final findings was granted by the central government. Accordingly, the Authority issued the final findings on 27th October 2022.
12. Through its final findings dated 27th October 2022, the Authority reached the following conclusion:

“154. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of above facts, circumstances and analysis, the Authority concludes that the domestic industry is not suffering material injury in terms of the provisions enshrined under the Anti-Dumping Rules. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to recommend levy of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject countries. Therefore, in terms of Section 9A and 9B of the Customs Tariff Act read with Rule 14(b), Rule 17(1)(a)(ii) and Rule 11(2) of the Anti-Dumping Rules, the Designated Authority decides to terminate the present investigation which was initiated vide Notification No. F. No. 6/8/2021-DGTR, dated 28 June 2021.”

13. Accordingly, the investigation was terminated.
14. M/s. Reliance Industries Limited, the co-applicant in the present investigation preferred an appeal against the final findings issued on 27th October 2022 before Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi. The appellant challenged the final findings' conclusion that the domestic industry had not suffered material injury in terms of the provisions contained in Rules. The Hon'ble CESTAT examined the final findings, and vide its Final Order No. 51370/2023 held as follows:

“105. The designated authority, in the present case, has exclusively relied upon the marginal improvement in the period of investigation as compared to 2019-20 and has ignored the trends over the years before that. Such selective examination, particularly in the present facts where the domestic industry itself

has claimed injury since 2019- 20, may defeat the entire purpose of injury assessment.

106. The inevitable conclusion, therefore, is that the designated authority would have to re-examine the matter in the light of the observations made above. For this purpose, the designated authority shall give an opportunity to both the appellant and the respondents for submitting their written submissions and after examination of the submissions and after considering the observations made hereinabove, give its final findings.

107. The final findings of the designated authority contained in the Notification dated 27.10.2022 are, accordingly, set aside and the matter is remitted to the designated authority to give final findings in the light of the observations made above. The appeal is allowed to the extent indicated above."

C. Request Received from the Domestic Industry

15. *Vide* letter dated 25th September 2024 the domestic industry withdrew the application filed in the subject matter stating that the period of investigation in the remanded investigation is 4 years old and hence any conclusion on dumping and injury reached based on such data would not reflect present market realities.

D. Examination by the Authority

16. The request made by the domestic industry, M/s Reliance Industries Limited, *vide* its letter dated 25th September 2024, has been examined.

17. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules reads as under:

Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if - (a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;

18. It is noted that Rule 14 provides for termination of investigations including circumstances wherein the application is withdrawn by the domestic industry. Rule 14(a) of Rules provides that the Authority shall, by issue of a public notice terminate an investigation immediately if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.

19. The present investigation was initiated based on an application filed by India Glycols Limited (IGL) and Reliance Industries Limited (RIL) constituting the domestic industry. The domestic industry has filed the letter with the Authority to withdraw the application. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules requires the Authority to terminate the investigation, once the domestic industry, at whose instance the investigation was initiated files a written request for termination of the investigation.

E. Conclusion

20. In view of the aforesaid request made by the domestic industry and under the provisions of Rule 14(a) of the Rules, the Authority hereby terminates the investigation initiated on 28.06.2021 *vide* Notification No. 6/8/2021-DGTR against the imports of Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol) from Kuwait, Saudi Arabia and USA.

DARPAN JAIN, Designated Authority